फर्द अहकाम

( नियम 26)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

लक्ष्मण बनाम श्रीमती सोहनी (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा०प० 111-128 नं० 122 सन् 2023

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 8.8.23 | वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 21.9.23 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>सहायक कलेक्टर माण्डल | |
| 21/9/23 | पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 26/9/23 को पेश हो। | |
| 26/9/23 | पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 29/9/23 को पेश हो। | |
| 29/9/23 | पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 17/10/23 को पेश हो। | |
| 17/10/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार रुक रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मांडल जिला भीलवाड़ा | |

राजस्थान –सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 122/23 प्रा.पत्र

1– श्री लक्ष्मण s/o खेमा जाट निवासी- बाण्या की खेड़ी तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती सोवनी w/o खेमा जाट निवासी- बाण्या की खेड़ी तहसील माण्डल (लगोरा)
(हस्ताक्षरित प्रा. पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांकः– 17-10-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाण्या की खेड़ी पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 2619, 2621, 2622 कुल किता 03 रकबा 0.7714 हेक्टेयरं स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.08.23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बाण्या की खेड़ी पटवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 2619, 2621, 2622 कुल किता 03 रकबा 0.7714 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर को 500/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा